

चार धाम यात्रा हेतु मानक प्रचालन विधि (SOP)-2021

उद्देश्य:- चार धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री हिन्दू सनातन धर्म के पवित्र एवं पूज्यनीय धाम हैं। उक्त धाम सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। उक्त धामों में की जाने वाली यात्रा से राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। वर्ष 2017 में 2192664, वर्ष 2018 में 2622325 वर्ष 2019 में 3169902 एवं वर्ष 2020 में पूरे देश में कोविड कर्फ्यू के दृष्टिगत माह जून में यात्रा प्रारम्भ हुयी एवं 321609 यात्रियों द्वारा उक्त धामों के दर्शन किये गये।

यह मानक प्रचालन विधि (SOP) बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों, आवासीय व्यवस्था संचालकों एवं अन्य हितग्राहियों को कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए यात्रा सम्पादित करने के प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है। इस मानक प्रचालन विधि (SOP) का सभी हितग्राहियों यथा चार धाम यात्रा से सम्बन्धित सरकारी विभाग, एजेंसियां, ट्रेवल टूर ऑपरेटर, आवासीय सुविधा, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सेवा प्रदाता, श्रद्धालु/यात्री तथा धामों से सम्बन्धित सभी हितधारकों द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1- 2021 में चार धाम यात्रा के संचालन की रणनीति

चार धाम यात्रा के आयोजन निर्णय के साथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न कार्ययोजना निर्धारित की जाती है:-

- सभी यात्रियों/हितग्राहियों द्वारा COVID प्रोटोकॉल और COVID उपर्युक्त व्यवहार का पालन करना
- बफर जोन की पहचान और गहन टीकाकरण द्वारा आबादी का संरक्षण
- अग्रिम पंक्ति की गतिविधियों में लगे सभी कर्मचारियों की टीकाकरण द्वारा सुरक्षा
- COVID वहन क्षमता आधारित यात्रा संचालन
- प्रभावी प्रवर्तन और निगरानी तंत्र

(ii) कार्ययोजना के मुख्य बिंदु:-

क. देहरादून में जिला स्तर और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना

- धाम के प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष COVID रिपोर्टिंग के लिए एक डेस्क पर तीर्थयात्रियों के दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे

- पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए पर्यटन विभाग के कार्यालय देहरादून में राज्य स्तरीय चार धाम नियंत्रण कक्ष स्थापित है।

ख. प्रवेश और पंजीकरण

- उत्तराखण्ड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (<http://smartcitydehradun.uk.gov.in>) पर राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- उत्तराखण्ड राज्य के भीतर के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (<http://smartcitydehradun.uk.gov.in>) पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चार धाम मंदिर की यात्रा के दौरान चार धाम मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास (<https://devasthanam.uk.gov.in> & <https://badrinath-kedarnath.gov.in>) से निर्गत किया जा सकेगा।
- सभी तीर्थयात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।
केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।
- किसी भी यात्री को राज्य के अंदर किसी भी जांच बिंदु पर बुनियादी जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें COVID-19 परीक्षण हेतु नामित परीक्षण केंद्रों/अस्पतालों में COVID-19 परीक्षण (RT&PCR/रैपिड एंटीजन/TruNat परीक्षण) के लिए भेजा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर, लक्षणों की गंभीरता और MoHFW प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें CCC/DCHC, DCH के लिए रेफर किया जाएगा।

ग. धामों की COVID वहन क्षमता—

सामाजिक दूरी के मानदंडों (6 फीट) और धाम के दैनिक खुलने के समय को ध्यान में रखते हुए मंदिर में सभा मंडप की आवास क्षमता के आधार पर, प्रत्येक धाम के लिए एक COVID वहन क्षमता चार धाम देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है—

- बद्रीनाथ धाम: 1000
- केदारनाथ धाम: 800

- गंगोत्री धाम: 600
- यमुनोत्री धाम: 400

घ. कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत धाम की प्रतिदिन की वहन क्षमता का प्रबंधन

मंदिर परिसर में प्रबंधन

- धाम में COVID की उपरोक्त निर्धारित क्षमता आधारित विनियमन जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किये जाएंगे।

धाम यात्रा मार्ग में प्रबंधन

- यात्रा मार्ग हेतु चेक प्वाइंट में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल के कर्मचारी शामिल होंगे। श्री बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में गौचर, ग्वालदम, पांडुकेश्वर, पांडुवाखाल एवं मोहनखाल, श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में सिरोबगढ़, चिरबटिया एवं सोनप्रयाग एवं गंगोत्री/यमुनोत्री यात्रा मार्ग में स्यान्सू, नगून बैरियर, धनोत्री एवं डाम्टा में चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। उक्त चेक प्वाइंट्स पर निम्न कार्यवाहियां की जाएंगी:-

- (क) धाम में दर्शन और COVID19 नकारात्मक रिपोर्ट के लिए ई पास के सत्यापन।
- (ख) धाम की वहन क्षमता के अनुसार पर्यटकों की आमद का प्रबंधन एवं नियंत्रण।
- (ग) यात्रियों की स्क्रीनिंग।

सफाई और स्वच्छता

क. मंदिर परिसर की सफाई और सैनिटाइजेशन दिन में कम से कम तीन बार किया जाएगा

ख. कालीनों, चादरों या चटाइयों को नियमित रूप से साफ एवं सैनिटाईज किया जाएगा।

कचरे का प्रबंधन

तीर्थयात्रियों या कर्मचारियों द्वारा ढके हुए डिब्बे में छोड़े गए फेस कवर/मास्क/दस्ताने का उचित तथा सुरक्षित निस्तारण धामों के परिसर में देवस्थानम बोर्ड द्वारा एवं धामों के परिसर के बाहर स्थानीय निकायों Central Pollution and Control Board के मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

जोखिम संचार

एहतियाती उपायों और COVID उपयुक्त व्यवहार पर रिकॉर्ड किए गए संदेशों को धाम में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर चलाया जाएगा।

निगरानी

क. धाम में प्रत्येक स्थल पर मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरों की व्यवस्था और उनके कामकाज को देवस्थानम बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

ख. चारों धामों में उपजिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल एवं एसओपीओ के अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उक्त एसओपीओ का अनुपालन कराये जाने की पूर्ण जिम्मेवारी उपजिलाधिकारी की होगी।

ड. पदाधिकारी-

चार धाम यात्रा के संचालन और COVID प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, पुलिस बल, मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक कर्मचारी जो संबंधित जिलाधिकारी आवश्यक समझें, को तैनात किया जायेगा।

च. सुविधाएं: चिकित्सा सुविधाएं (COVID संबंधित)

अ. धामों, जिलों एवं यात्रा मार्ग में आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर, एमआरपी (मेडिकल रिलीफ पोस्ट) और एफएमआर (फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर) स्थापित हैं। धाम में सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक धाम के लिए स्वास्थ्य विभाग से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

चार धाम एवं यात्रा मार्ग पर निम्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

- COVID 19 के लिए परीक्षण सुविधाएं
- प्रत्येक धाम पर या धाम में निकटतम मोटर मार्ग पर COVID एम्बुलेंस/ सामान्य एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- COVID प्रबंधन योजना
- दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर (विशेष रूप से केदारनाथ और यमुनोत्री के ट्रेक मार्गों पर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर), और ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- विस्तृत जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 और 104 पूरे समय सक्रिय रहेंगे।

चिकित्सा सुविधाएं (आपदा संबंधी)

चार धाम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं जो भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ आदि के प्रति संवेदनशील हैं। मानसून की अवधि में यात्रा होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी

अधिक होती है। यात्रा के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, इन जिलों के जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के बचाव और निकासी के लिए आपातकालीन योजना तैयार की है—

अ. चार धाम मार्ग में एम्बुलेंस (108) —

ब. श्री गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए बचाव कार्यों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता।

द. प्रत्येक जिले के लिए अद्यतन आपातकालीन प्रोटोकॉल

पर्यटक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

चार धाम यात्रा के लिए एक पर्यटक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। पर्यटकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में निम्नलिखित प्राविधान हैं—

- वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप या मैन्युअल (पंजीकरण काउंटर) के माध्यम से यात्रा शुरू करने/राज्य प्रवेश बिंदुओं पर पर्यटकों का पंजीकरण।
- वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और मैन्युअल के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण।
- निगरानी नंबर आईडी, जन्म तिथि या नाम दर्ज करके यात्रियों का पता लगाना।
- यात्री स्थान पर ईमेल/एसएमएस/सोशल मीडिया अलर्ट सेट करना।
- नियंत्रण कक्ष के साथ दोतरफा संचार (बचाव अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यकतानुसार) स्थापित करना।
- डेटा साझा करना।
- सुरक्षा, आपातकालीन घोषणाओं और यातायात की भीड़, मौसम पूर्वानुमान, वैकल्पिक मार्गों और गंतव्यों की एडवाइजरी से संबंधित पर्यटकों, दूर ऑपरेटरों, प्रशासन आदि के लिए आवश्यक जानकारी का प्रसार।
- सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वाहनों को ट्रैक करने के लिए 16 स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं।
- प्रत्येक धाम में के सत्यापन के लिए निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं।

छ. जोखिम संचार

अ. राज्य सरकार द्वारा कोविड से संबंधित सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

ब. प्रमुख स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के उपायों पर पोस्टर/स्टैंडी/एवी मीडिया प्रदर्शित किए जाएंगे।

स. "क्या करें और क्या न करें" को भी यथास्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

द. एहतियाती उपायों और COVID उपयुक्त व्यवहार पर रिकॉर्ड किए गए संदेशों को धाम परिसर में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर चलाया जाएगा।

य. देवस्थानम् बोर्ड की वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन और उत्तराखंड पर्यटन विभाग, अपने लैंडिंग/होम पृष्ठ पर COVID-19 के लिए निवारक उपायों को प्रदर्शित करेंगे। वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन भक्तों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस नियंत्रण कक्ष, मौसम अपडेट आदि के बारे में भी सूचित करेगा।

ज. पर्यटन इकाइयों जैसे आवास, रेस्तरां आदि में कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए आपदा द्वारा जारी दिशा-निर्देश

(1) चार धाम यात्रा मार्ग एवं धामों में आवासीय सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश

1. श्रद्धालु/पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे होटल/धर्मशाला /आश्रम/होमस्टे /गेस्ट हाउस/पीओजीओ या अन्य पंजीकृत आवासीय सुविधा में प्रवास करें तथा चैक इन के समय अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचने हेतु प्री-बुकिंग कर लें। रिश्तेदार/मित्र के घर पर रुकने से बचने की सलाह दी जाती है।
2. आवासीय सुविधाओं में कार्यरत सभी कर्मचारी वैक्सिनेटेड होने आवश्यक हैं।
3. आवासीय सुविधाओं को अपने प्रवेश स्थल पर बेसिक स्क्रीनिंग (सेनिटाइजर/धर्मल स्कैनर) करना आवश्यक होगा। उन्हें यात्रियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करवाना आवश्यक होगा।
4. आवासीय सुविधा के प्रमुख स्थलों पर महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर यथा कन्ट्रोल रूम नं०, नजदीकी कोविड केयर सेन्टर का नं०, देवस्थानम् बोर्ड का नम्बर एवं हेल्पलाइन नम्बर आदि प्रदर्शित करने होंगे।
5. सामान को कक्षों तक पहुंचाने से पूर्व सेनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा।
6. सहस्रगुणता वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
7. आवासीय सुविधा में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य करते समय मास्क, ग्लब्स पहनने आवश्यक हैं तथा आपस में व यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी आवश्यक होगी।
8. आवासीय व्यवस्था द्वारा अपने कर्मचारियों तथा अतिथियों के लिए समुचित पर्सनल प्रोटेक्शन गियर यथा फेस कवर/मास्क, ग्लब्स तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
9. पर्यटकों/श्रद्धालुओं द्वारा प्रत्येक समय मास्क/फेस कवर का उपयोग किया अनिवार्य है।
10. आवासीय व्यवस्था द्वारा जिम, स्विमिंग पूल आदि को तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक कि जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है।

11. आवासीय व्यवस्था परिसर में समुचित भीड़ प्रबन्धन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाएगा।
 12. आवासीय व्यवस्था में बार-बार हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहां भी सम्भव हो एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर रखे जाने आवश्यक होंगे।
 13. आवासीय व्यवस्था के स्वामी द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यटक/श्रद्धालु को सहयोग प्रदान किया जाएगा।
 14. आवासीय व्यवस्था द्वारा कमरों, लॉबी, रेस्टोरेन्ट आदि को लगातार सेनिटाइज किया जाएगा। टॉयलेट, पेयजल तथा हैण्ड वाशिंग एरिया को अनिवार्य तथा प्रभावी रूप से लगातार सेनिटाइज किया जाएगा।
 15. गेस्ट सर्विस एरिया तथा कॉमन एरिया के ऐसे स्थान जिन्हें लगातार छुआ जाता है जैसे डोर नॉब, एलिवेटर बटन, हैण्डरेल्स, बैन्च, वॉश रूम फिक्चर आदि की सफाई सैनिटाइजेशन मानकों के अनुरूप की जाएगी।
 16. प्रयोग किये गये फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स के समुचित निस्तारण की व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी।
 17. किचन को अनिवार्य रूप से लगातार सेनिटाइज किया जाएगा।
 18. किचन में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा फिजीकल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जाएगा।
 19. बुफे सर्विस के दौरान अतिथियों द्वारा फिजीकल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जाएगा।
 20. डाइन-इन के स्थान पर रूम सर्विस तथा टेक अवे को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 21. आवासीय व्यवस्था स्वामी द्वारा कान्टेक्टलेस प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जैसे ऑनलाइन फार्म, QR code, डिजिटल पेमेन्ट आदि।
 22. चेक आउट के समय होटल द्वारा यात्री/अतिथि के गन्तव्य/आवासीय व्यवस्था का पूरा पता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
 23. यात्री द्वारा चेक आउट के पश्चात् कमरा तथा सर्विस एरिया को सेनिटाइज किया जाएगा।
 24. आवासीय परिसर में कोविड संदिग्ध/कन्फर्म केस पाए जाने पर :-
 - रूग्ण व्यक्ति को आइसोलेटेड कमरे में रखा जाएगा।
 - उन्हें मास्क/फेस कवर प्रयोग करने हेतु दिया जाएगा।
 - तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल/क्लीनिक या राज्य अथवा जिला हेल्पलाइन को सूचित किया जाएगा।
 - डेजिग्नेटेड पब्लिक हेल्थ ऑथोरिटी (MRP/FMR/SAD) द्वारा रिस्क एसेसमेन्ट किया जाएगा, तदनुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, डिसइनफेक्शन, तथा सम्बन्धित केस का प्रबन्धन किया जाएगा।
 25. जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित कमरे/स्थान को आइसोलेशन सेन्टर के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) चार धाम यात्रा मार्ग एवं धामों में स्थित फूड कोर्ट / रेस्टोरेन्ट / ढाबों हेतु दिशा-निर्देश

1. रेस्टोरेन्ट / ढाबा / फूड कोर्ट द्वारा प्रवेश द्वार पर अतिथियों की बेसिक स्क्रीनिंग की जाएगी। गेट पर सेनिटाइजर तथा धर्मल स्केनिंग मशीन प्रयोग की जाएगी।
2. कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी सूचनाएं यथा कन्ट्रोल रूम नं०, नजदीकी कोविड केयर सेन्टर का नं०, देवस्थानम् बोर्ड का नम्बर एवं हेल्पलाइन नम्बर आदि प्रदर्शित करने होंगे।
3. आवश्यकता होने पर यात्री/अतिथि को पेमेन्ट बेस पर मास्क उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
4. बन्द एरिया के भीतर बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के तहत की जाएगी। बैठने हेतु प्रयुक्त फर्नीचर आदि को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा।
5. डिस्पोजेबल मेन्यू कार्ड को प्रोत्साहित किया जाएगा, कपड़े के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के डिस्पोजेबल नैपकिन प्रयोग किए जाएंगे।
6. ऑर्डर देने हेतु कान्टेक्टलेस प्रक्रिया अपनाई जाए तथा पेमेन्ट हेतु डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित किया जाए।

जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के सहयोग से उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झ. यात्री के संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर प्रोटोकॉल

परिसर में यात्री के संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

- संक्रमित अथवा कोविड लक्षण प्रदर्शित होने पर व्यक्ति को आसोलेट किया जायेगा।
- उक्त व्यक्ति की जांच होने तक उसे मास्क/फेस कवर/पीपीपीपीपी किट प्रदान की जायेगी।
- तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को सूचित किया जायेगा एवं जिला हेल्पलाइन को सूचित किया जायेगा।
- एमआरपी/एफएमआर/एसएडी द्वारा यथावश्यक सैम्पलिंग की कार्यवाही की जायेगी और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उसके संपर्कों और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही की जायेगी।
- यदि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

ट. आईईसी योजना

- प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रा दिशानिर्देशों (एसओपी) का प्रसार एवं पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी प्रदर्शित की जायेगी।
- सुरक्षित हाथ धोने की तकनीक पर ऑडियो विजुअल माध्यमों, बैनरों, होर्डिंग्स आदि के माध्यम से सूचना सामग्री का प्रसार, व्यक्तिगत स्वच्छता को सुदृढ़ करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मुख्य स्थानों पर एडवाइजरी के पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे।

- सामाजिक दूरी के व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक संभावित आगंतुक मण्डली स्थान पर कम से कम 2 मीटर (6 फीट) की सुरक्षित भौतिक दूरी पर स्पष्ट सामाजिक दूरी के मार्कर/संकेत प्रदर्शित किए जाएंगे।

ठ. प्रवर्तन(Enforcement) तंत्र

कोविड सुरक्षा दिशानिर्देशों और एसओपी के प्रवर्तन के लिए संस्थागत व्यवस्था निम्न प्रकार है—

गतिविधि	स्थान	जवाबदेह विभाग	द्वारा
प्रवेश एवं पंजीकरण	राज्य की सीमा, जिला सीमा, धाम		पुलिस
धाम दर्शन एवं पूजा	धामों के भीतर	चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड	नोडल अधिकारी प्रत्येक धाम
आवास इकाइयाँ (होटल, धर्मशालाएँ, होमस्टे, अतिथि) मकान आदि)	धाम, यात्रा मार्ग	जिला प्रशासन पर्यटन विभाग	जिला पर्यटन विकास अधिकारी
चिकित्सा सुविधाएं	धाम, यात्रा मार्ग	चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग	नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य), नोडल अधिकारी चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड
आपातकाल (आपदा में, भूस्खलन, बाढ़ फटना, बाढ़, आदि)	धाम, यात्रा मार्ग	उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन और शमन केंद्र)	SDM/DDMA/DEOC
यात्रा मार्ग एवं धामों में स्थित तपकुंडों / कुंडों में स्नान पूर्णतः रोक रहेगी।	धाम, यात्रा मार्ग	पुलिस एवं चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड	पुलिस एवं चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड

निगरानी और पर्यवेक्षण

- पर्यटकों / तीर्थयात्रियों/वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार धाम के 16 रणनीतिक स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे जो वाहनों को पकड़ लेंगे और किसी भी दुर्घटना के मामले में उनकी ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेंगे।
- प्रत्येक स्थल पर मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए देवस्थानम बोर्ड द्वारा क्लोज सर्किट सर्विलांस कैमरों की व्यवस्था और उनके कामकाज को सुनिश्चित किया जाएगा।

निगरानी आवृत्ति और रिपोर्टिंग

- धाम में अनुपालन की साप्ताहिक निगरानी के लिए संबंधित एराडीएंग जिम्मेदार होंगे।

- चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंधित नोडल अधिकारी धाम में एसओपी के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- संबंधित नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग धाम में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- जिला प्रशासन संबंधित एसडीएम (नोडल अधिकारी) और पुलिस विभाग के माध्यम से धाम में एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

दण्डात्मक प्रावधान

- समय-समय पर जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल (सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी) का पालन न करने की स्थिति में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, महामारी रोग अधिनियम, 1897 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- पुलिस विभाग द्वारा प्रश्नगत मानक प्रचालन विधि(एसओपी), आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं उत्तराखण्ड एंटी लिटर्स एंड एंटी स्मिटिंग एक्ट की धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री बद्रीनाथ धाम

क- पंजीकरण प्रक्रिया-

- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मंदिर की यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास। (<https://devasthanam.uk.gov.in> & <https://badrinath-kedarnath.gov.in>)।
- सभी तीर्थयात्रियों यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान मूल रूप में यात्रियों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- एक यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अधिकतम 6 श्रद्धालु/ यात्री दर्शन करने हेतु अनुमन्य होंगे। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता दो दिनों के लिए होगी। दिनों की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि के लिए मन्दिर में दर्शन हेतु यात्रा

पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित किया गया हो। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल मन्दिर में दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

ख- पंजीकरण चैकिंग-

- श्री बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की चैकिंग जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों में सम्बन्धित जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा उन्हीं श्रद्धालुओं/यात्रियों को धाम में जाने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने विधिवत यात्रा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेजों की भी चैकिंग/पुष्टि, चैकिंग के दौरान अनिवार्य होगी।
- बद्रीनाथ धाम से लगते हुए ग्राम यथा पाण्डुकेश्वर, माणा, हनुमानचट्टी के निवासियों हेतु पास की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- बद्रीनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में तैनात राजकीय कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा तैनाती आदेश उनके पास के रूप में मान्य होंगे।

घ- दर्शन व्यवस्था-

(i)- प्रवेश प्रक्रिया-

- अनुमन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर में प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पलों को निर्धारित स्थान या अपने प्रवास स्थल/वाहन आदि में रखना अपेक्षित होगा।
- अनुमन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर में प्रवेश "सिंहद्वार" से करना होगा। प्रवेश पूर्व सिंहद्वार के अग्रभाग में पुलिस प्रशासन/मन्दिर प्रशासन के कर्मचारियों को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- तत्पश्चात थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं उपलब्ध सैनिटाईजर से अच्छी तरह अपने हाथों में प्रयोग करना होगा। मास्क का प्रयोग न करने की स्थिति में उन्हें सशुल्क मास्क मन्दिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कतिपय लोगों में कोविड के लक्षण प्रदर्शित होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- मन्दिर प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराना होगा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर की स्थापना करनी आवश्यक होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितों को इस सेन्टर में सहजता से शिफ्ट किया जा सके।
- धाम में श्रद्धालुओं/यात्रियों के स्वास्थ्य सुविधार्थ चिकित्सकों, फार्मसिस्टों, औषधियों एवं ऑक्सीजन आदि की आवश्यक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) दर्शन लाईन प्रक्रिया- श्रद्धालुओं/यात्रियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात "सिंहद्वार" से लेकर "संत कुटी" तक निर्मित सेक्टर शीड (लम्बाई 340 मी0) में पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा। पंक्तिबद्ध के समय सोसियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की आपसी दूरी का पालन करते हुए निर्मित गोल निशान में पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा।

(iii) दर्शन प्रक्रिया—

- "सिंहद्वार" से प्रवेश करने पर श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर परिसर में बने गोल निशान में ही पंक्तिबद्ध होना पड़ेगा एवं दर्शन हेतु घंटाकर्ण गेट से सभामण्डप में प्रवेश करना होगा। दर्शन सभामण्डप से ही प्राप्त होंगे।
- गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं होगी। सभामण्डप की क्षमता (7.10x2.70 मी०) को देखते हुए एक समय में तीन लोगों को ही सभामण्डप में दर्शन "धर्म दर्शन" प्रवेश हेतु अनुमन्य होंगे।
- सभामण्डप में प्रवेश के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की आपसी दूरी बनानी होगी एवं निर्मित गोल निशान में ही पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा।
- दर्शन "धर्म दर्शन" के रूप में होगी एवं प्रत्येक श्रद्धालु/यात्री को दर्शन "धर्म दर्शन" हेतु अत्यन्त सीमित समय अनुमन्य होगा।
- श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन पश्चात् मन्दिर प्रांगण में स्थित लक्ष्मी मन्दिर के सामने गेट से बाहर आना होगा। प्रथम यात्री/श्रद्धालु के दर्शन उपरान्त, बाहर आने पर ही, घंटाकर्ण गेट पर पंक्ति में नम्बर 4 पर खड़े यात्री/श्रद्धालु सभामण्डप में प्रवेश कर पायेंगे, पुनः यह क्रम आवर्ती रूप से चलता रहेगा।
- किसी भी दशा में दर्शन हेतु सभा मण्डप में एक समय में 3 से अधिक व्यक्ति अनुमन्य नहीं होंगे।
- सभा मण्डप में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई यात्री/श्रद्धालु विशेष पूजा सम्पादित करना चाहते हैं तो आचार्यगणों द्वारा उनकी ओर से पूजाएं सम्पादित करा दी जाएंगी परन्तु ऐसे श्रद्धालुओं/यात्रियों को भी मात्र दर्शन (धर्म दर्शन) निर्धारित समय तक ही अनुमन्य होगी।

(iv) निकासी प्रक्रिया—

- श्रद्धालुओं/यात्रियों के दर्शन पश्चात्, मन्दिर परिसर में निर्मित गोल निशान के दायें कम (Clock wise) में आगे बढ़ते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घंटाकर्ण गेट से बाहर जाना होगा।
- यदि मन्दिर परिसर में किंचित समय के लिए पंक्ति बद्ध होना पड़े तो परिसर में बने गोल निशान में ही खड़ा रहना आवश्यक होगा।
- मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार का पूजा-पाठ, परायण, भजन-कीर्तन आदि अनुमन्य नहीं होंगे तथा परिसर में बहुत लम्बे समय तक अनावश्यक बने रहने की अनुमति नहीं होगी।
- परिसर में पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा उद्घोषणा होने पर उसका पालन करते हुए त्वरित गति से मन्दिर परिसर को खाली करना होगा, ताकि दर्शन हेतु पंक्ति में खड़े अन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को समयान्तर्गत दर्शन लाभ प्राप्त हो सके।

(v) प्रसाद, दान, भेंट आदि प्रक्रिया—मन्दिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी न ही मन्दिर के अन्दर प्रसाद वितरण टीका आदि लगाना ही अनुमन्य होगा।

श्रद्धालुओं/यात्रियों श्रद्धानुसार दिए जाने वाले दान-भेंट को निर्धारित दान पात्र में ही अर्पित करना आवश्यक होगा।

(vi) मूर्तियों/घण्टियों को स्पर्श नहीं किया जाना— मन्दिर एवं मन्दिर परिसर में स्थापित मूर्तियों-घण्टियों, आभूषणों, ग्रन्थों पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें पूर्ण रूप से साफ कपड़े से ढका जाना होगा।

(vii) सफाई व्यवस्था/सैनीटाइजेशन— मन्दिर के अन्दर एवं परिसर को किटाणुरहित सैनेटाइजर से प्रतिदिन कम-से-कम 3 बार सफाई तदोपरान्त सैनीटाइज करना अनिवार्य होगा। मन्दिर में एक ही मैट, दरी, चादर आदि से का प्रयोग नहीं किया जाना होगा।

(viii) तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान सम्बन्धी निर्देश— धाम में स्थित तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(ix) दर्शन हेतु अनुमन्य संख्या एवं रात्रि प्रवास अवधि—जनमानस के व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षार्थ एवं कोविड-19 Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत श्री बदरीनाथ धाम में प्रथम जुलाई से जनपद चमोली हेतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन अधिकतम 1000 श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन की अनुमति होगी तथा समान्तर क्रम में एक रात्रि प्रवास की भी अनुमति होगी। कदाचित विषम परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर यथा मार्ग अवरुद्ध, स्वास्थ्य आदि आधारों पर स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन की अनुमति से प्रवास अवधि बढ़ाया जा सकेगा।

ड.- अनुश्रवण—

धाम में श्रद्धालुओं/यात्रियों को मानक प्रचालन विधि (SOP) का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन व्यवस्था एवं मानक प्रचालन विधि (SOP) के पूर्णतः अनुपालन का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। इस हेतु मन्दिर प्रशासन के नियुक्त नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सहयोग का कार्य करेंगे।

श्री केदारनाथ धाम

क- पंजीकरण प्रक्रिया—

- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मंदिर की यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास। (<https://devasthanam.uk.gov.in> & <https://badrinath-kedarnath.gov.in>)।
- सभी तीर्थयात्रियों यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/

TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान मूल रूप में यात्रियों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- एक यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अधिकतम 6 श्रद्धालु/यात्री दर्शन करने हेतु अनुमन्य होंगे। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता दो दिनों के लिए होगी। दिनों की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि के लिए मन्दिर में दर्शन हेतु यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित किया गया हो। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल मन्दिर में दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

ख- पंजीकरण चैकिंग-

- श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की चैकिंग जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों में सम्बन्धित जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा उन्हीं श्रद्धालुओं/यात्रियों को धाम में जाने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने विधिवत यात्रा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेजों की भी चैकिंग/पुष्टि, चैकिंग के दौरान अनिवार्य होगी।
- केदारनाथ धाम से लगते हुए ग्रामों के निवासियों हेतु पास की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में तैनात राजकीय कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा तैनाती आदेश उनके पास के रूप में मान्य होंगे।

घ- दर्शन व्यवस्था-

(i)- प्रवेश प्रक्रिया-

- अनुमन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर के "मुख्य द्वार" से प्रवेश करना होगा। प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पलों को निर्धारित स्थान या अपने प्रवास स्थल आदि में रखना अपेक्षित होगा।
- प्रवेश पूर्व "मुख्य द्वार" के अग्रभाग में पुलिस प्रशासन/मन्दिर प्रशासन के कर्मचारियों को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र पत्र दिखाना होगा। तत्पश्चात् थर्मल स्क्रीनिंग, सोसियल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं उपलब्ध सैनिटाईजर से अच्छी तरह अपने हाथों में प्रयोग करना होगा।
- मास्क का प्रयोग न करने की स्थिति में उन्हें सशुल्क मास्क मन्दिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना जाना होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कतिपय लोगो में कोविड के लक्षण प्रदर्शित होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- मन्दिर प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराना होगा,

जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर की स्थापना करनी आवश्यक होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितों को इस सेन्टर में सहजता से शिफ्ट किया जा सके।

(ii) दर्शन लाईन प्रक्रिया— श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर परिसर जिसका कुल क्षेत्रफल 43074 वर्ग फीट है, में पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा। पंक्तिबद्ध होते समय शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए 6 फीट की आपसी दूरी बनाते हुए निर्मित गोले के निशाने में ही पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा।

(iii) दर्शन प्रक्रिया—

- "मुख्य द्वार" से प्रवेश करने पर श्रद्धालु/यात्री मन्दिर के सभामण्डप में प्रवेश कर सकेंगे। सभामण्डप से ही दर्शन "धर्म दर्शन" की अनुमति होगी। गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- सभामण्डप की क्षमता (287.61 वर्ग फीट) के अनुरूप आपसी दूरी 6 फीट का रखते हुए एक समय में अधिकतम 5 लोगो को ही सभामण्डप में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
- दर्शन "धर्म दर्शन" हेतु अत्यन्त सीमित समय अनुमन्य होगा। दर्शन उपरान्त पूर्वी गेट से बाहर आना होगा। दर्शन पश्चात प्रथम श्रद्धालु/यात्री का पूर्वी गेट से बाहर आने पर ही मुख्य द्वार पर पंक्ति में नम्बर 6 पर खड़े श्रद्धालु/यात्री सभामण्डप में दर्शन हेतु प्रवेश पा सकेंगे। पुनः यह क्रम आवर्ती क्रम में सतत रूप से चलता रहेगा।
- सभामण्डप में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई यात्री/श्रद्धालु विशेष पूजा सम्पादित करना चाहते हैं तो आचार्यगणों द्वारा उनकी ओर से पूजाएं सम्पादित करा दी जाएगी परन्तु ऐसे श्रद्धालुओं/यात्रियों को भी मात्र दर्शन "धर्म दर्शन" निर्धारित समय तक ही अनुमन्य होगा।

(iv) निकासी प्रक्रिया—

- श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन पश्चात, मन्दिर के पूर्वी गेट से बाहर आना होगा। तत्पश्चात मन्दिर परिसर में निर्मित गोल निशान के दायें क्रम (Clock wise) आगे बढ़ते हुए एवं सोसियल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने गन्तव्य या आवास को प्रस्थान करना होगा।
- यदि मन्दिर परिसर में किञ्चित समय के लिए पंक्तिबद्ध होना पड़े तो परिसर में बने गोल निशान में ही खड़े रहना आवश्यक होगा।
- मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार का पूजा-पाठ, परायण, भजन-कीर्तन आदि अनुमन्य नहीं होंगे तथा परिसर में बहुत लम्बे समय तक अनावश्यक बने रहने की अनुमति नहीं होगी।
- परिसर में पब्लिक एनाउंसमेन्ट सिस्टम द्वारा उद्घोषणा होने पर उसका पालन करते हुए त्वरित गति से मन्दिर परिसर को खाली करना होगा ताकि दर्शन हेतु

पंक्ति में खड़े अन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को समयान्तर्गत दर्शन लाभ प्राप्त हो सके।

(v) प्रसाद, दान, भेंट आदि प्रक्रिया— मन्दिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी न ही मन्दिर के अन्दर प्रसाद वितरण टीका आदि लगाना ही अनुमत्त होगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा श्रद्धानुसार दिए जाने वाले दान-भेंट को निर्धारित दान पात्र में ही अर्पित करना आवश्यक होगा।

(vi) मूर्तियों/घण्टियों को स्पर्श नहीं किया जाना— मन्दिर एवं मन्दिर परिसर में स्थापित मूर्तियों घण्टियों, आभूषणों, ग्रन्थों पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें पूर्ण रूप से साफ कपड़े से ढका जाना होगा।

(vii) सफाई व्यवस्था/सैनीटाइजेशन— मन्दिर के अन्दर एवं परिसर को किटाणुरहित सैनेटाइजर से प्रतिदिन कम-से-कम 3 बार सफाई तदोपरान्त सैनीटाइजर करना अनिवार्य होगा। मन्दिर में एक ही मैट, दरी, चादर आदि का प्रयोग नहीं किया जाना होगा।

(viii) तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान सम्बन्धी निर्देश— धाम में स्थित तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(ix) दर्शन हेतु अनुमत्त संख्या एवं रात्रि प्रवास अवधि—

- जनमानस के व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षार्थ एवं कोविड-19 Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में प्रथम जुलाई से जनपद रुद्रप्रयाग हेतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन अधिकतम 800 श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन की अनुमति होगी तथा समान्तर कम में एक रात्रि प्रवास की भी अनुमति होगी।
- विषम परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर यथा मार्ग अवरुद्ध, स्वास्थ्य आदि आधारों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन की अनुमति से स्थगन/प्रवास अवधि बढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों की संख्या को आगामी समय में परिस्थिति अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

ड.— अनुश्रवण—

धाम में श्रद्धालुओं/यात्रियों को मानक प्रचालन विधि (SOP) का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन व्यवस्था एवं मानक प्रचालन विधि (SOP) के पूर्णतः अनुपालन का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। इस हेतु मन्दिर प्रशासन के नियुक्त नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सहयोग का कार्य करेंगे।

श्री गंगोत्री धाम

क— पंजीकरण प्रक्रिया—

- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मंदिर की यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास। (<https://devasthanam.uk.gov.in> & <https://badrinath-kedarnath.gov.in>)।

- सभी तीर्थयात्रियों यात्रियों द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वैक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान मूल रूप में यात्रियों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- एक यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अधिकतम 6 श्रद्धालु/यात्री दर्शन करने हेतु अनुमन्य होंगे। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता दो दिनों के लिए होगी। दिनों की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि के लिए मन्दिर में दर्शन हेतु यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित किया गया हो। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल मन्दिर में दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

ख- पंजीकरण चैकिंग-

- श्री गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की चैकिंग जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों में सम्बन्धित जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा उन्हीं श्रद्धालुओं/यात्रियों को धाम में जाने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने विधिवत यात्रा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेजों की भी चैकिंग/पुष्टि, चैकिंग के दौरान अनिवार्य होगी।
- गंगोत्री धाम से लगते हुए ग्रामों के निवासियों हेतु पास की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- गंगोत्री धाम एवं यात्रा मार्ग में तैनात राजकीय कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा तैनाती आदेश उनके पास के रूप में मान्य होंगे।

घ- दर्शन व्यवस्था-

(i)- प्रवेश प्रक्रिया-

- अनुमन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर के "मुख्य द्वार" से प्रवेश करना होगा। प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पलों को निर्धारित स्थान या अपने प्रवास स्थल में रखना अपेक्षित होगा।
- प्रवेश पूर्व "मुख्य द्वार" के अग्रभाग में पुलिस प्रशासन/मन्दिर प्रशासन के कर्मचारियों को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र पत्र दिखाना होगा। तत्पश्चात थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं उपलब्ध सैनिटाईजर से अच्छी तरह अपने हाथों में प्रयोग करना होगा।

- मास्क का प्रयोग न करने की स्थिति में उन्हें सशुल्क मास्क मन्दिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना जाना होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कतिपय लोगों में कोविड के लक्षण प्रदर्शित होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- मन्दिर प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराना होगा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर की स्थापना करनी आवश्यक होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितों को इस सेन्टर में सहजता से शिफ्ट किया जा सके।

(ii) दर्शन लाईन प्रक्रिया— श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर परिसर में पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा। पंक्तिबद्ध होते समय शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए 6 फीट की आपसी दूरी बनाते हुए निर्मित गोले के निशान में ही पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा।

(iii) दर्शन प्रक्रिया—

- "मुख्य द्वार" से प्रवेश करने पर श्रद्धालुओं/यात्रियों मन्दिर के सभामण्डप में प्रवेश कर सकेंगे। सभामण्डप से ही दर्शन "धर्म दर्शन" की अनुमति होगी। गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- सभामण्डप की क्षमता के अनुरूप आपसी दूरी 6 फीट का रखते हुए एक समय में अधिकतम 3 लोगों को ही सभामण्डप में ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। दर्शन "धर्म दर्शन" हेतु अत्यन्त सीमित समय अनुमन्य होगा।
- दर्शन उपरान्त मुख्य द्वार से बाहर आना होगा। दर्शन पश्चात् प्रथम श्रद्धालु/यात्री का पूर्वी गेट से बाहर आने पर ही मुख्य द्वार पर पंक्ति में नम्बर 4 पर खड़े श्रद्धालु/यात्री सभामण्डप में दर्शन हेतु प्रवेश पा सकेंगे। पुनः यह क्रम आवर्ती क्रम में सतत रूप से चलता रहेगा।
- सभामण्डप में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई यात्री/श्रद्धालु विशेष पूजा सम्पादित करना चाहते हैं तो आचार्यगणों द्वारा उनके ओर से पूजाएं सम्पादित करा दी जाएंगी परन्तु ऐसे श्रद्धालुओं/यात्रियों को भी मात्र दर्शन "धर्म दर्शन" निर्धारित समय तक ही अनुमन्य होगी।

(iv) निकासी प्रक्रिया—

- श्रद्धालुओं/यात्रियों के दर्शन पश्चात्, मन्दिर के मुख्य द्वार से बाहर आना होगा। तत्पश्चात् मन्दिर परिसर में निर्मित गोल निशान की ओर बढ़ते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने गन्तव्य या आवास को प्रस्थान करना होगा।
- यदि मन्दिर परिसर में किंचित समय के लिए पंक्ति बद्ध होना पड़े तो परिसर में बने गोल निशान में ही खड़ा रहना आवश्यक होगा।
- परिसर में पब्लिक एनाउंसमेन्ट सिस्टम द्वारा उद्घोषणा होने पर उसका पालन करते हुए त्वरित गति से मन्दिर परिसर को खाली करना होगा ताकि दर्शन हेतु पंक्ति में खड़े अन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को रागयान्तर्गत दर्शन लाभ प्राप्त हो सके।

(v) प्रसाद, दान, भेंट आदि प्रक्रिया— मन्दिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी न ही मन्दिर के अन्दर प्रसाद वितरण टीका आदि लगाना ही अनुमन्य होगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों श्रद्धानुसार दिए जाने वाले दान-भेंट को निर्धारित दान पात्र में ही अर्पित करना आवश्यक होगा।

(vi) मूर्तियों/घण्टियों को स्पर्श नहीं किया जाना— मन्दिर एवं मन्दिर परिसर में स्थापित मूर्तियों घण्टियों, आभूषणों, ग्रन्थों पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें पूर्ण रूप से साफ कपड़े से ढका जाना होगा।

(vii) सफाई व्यवस्था/सैनीटाइजेशन— मन्दिर के अन्दर एवं परिसर को किटाणुरहित सैनेटाइजर से प्रतिदिन कम-से-कम 3 बार सफाई तदोपरान्त सैनीटाइजर करना अनिवार्य होगा। मन्दिर में एक ही मैट, दरी, चादर आदि का प्रयोग नहीं किया जाना होगा।

(viii) तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान सम्बन्धी निर्देश— धाम में स्थित तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(ix) दर्शन हेतु अनुमन्य संख्या एवं रात्री स्थगन अवधि— जनमानस के व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षार्थ एवं कोविड-19 Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम में प्रथम जुलाई से जनपद उत्तरकाशी हेतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन अधिकतम 600 श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन की अनुमति होगी तथा समान्तर कम में एक रात्री स्थगन/प्रवास की भी अनुमति होगी। कदाचित विषम परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर यथा मार्ग अवलम्ब, स्वास्थ्य आदि पर स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन की अनुमति से स्थगन/प्रवास अवधि बढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों की संख्या को आगामी समय में परिस्थिति अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

ड.- अनुश्रवण—

धाम में श्रद्धालुओं/यात्रियों को मानक प्रचालन विधि का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन व्यवस्था एवं मानक प्रचालन विधि (SOP) के पूर्णतः अनुपालन का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। इस हेतु मन्दिर प्रशासन के नियुक्त नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सहयोग का कार्य करेंगे।

श्री यमुनोत्री धाम

क- पंजीकरण प्रक्रिया—

- उत्तराखण्ड चार देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मंदिर की यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए अनिवार्य यात्रा ई-पास। (<https://devasthanam.uk.gov.in> & <https://badrinath-kedarnath.gov.in>)।
- सभी तीर्थयात्रियों यात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को

अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश से आने वाले यात्रियों द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ True Nat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा।

- यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को यात्रा के दौरान मूल रूप में यात्रियों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- एक यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अधिकतम 6 श्रद्धालु/यात्री दर्शन करने हेतु अनुमत्य होंगे। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता दो दिनों के लिए होगी। दिनों की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि के लिए मन्दिर में दर्शन हेतु यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित किया गया हो। यात्रा पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल मन्दिर में दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

ख- पंजीकरण चैकिंग-

- श्री यमुनोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की चैकिंग जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों में सम्बन्धित जिला प्रशासन/जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा उन्हीं श्रद्धालुओं/यात्रियों को धाम में जाने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने विधिवत यात्रा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित समस्त दस्तावेजों की भी चैकिंग/पुष्टि, चैकिंग के दौरान अनिवार्य होगी।
- यमुनोत्री धाम से लगते हुए ग्रामों के निवासियों हेतु पास की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- यमुनोत्री धाम एवं यात्रा मार्ग में तैनात राजकीय कर्मचारियों के पहचान पत्र तथा तैनाती आदेश उनके पास के रूप में मान्य होंगे।

घ- दर्शन व्यवस्था-

(i)- प्रवेश प्रक्रिया-

- अनुमत्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर के "मुख्य द्वार" से प्रवेश करना होगा। प्रवेश करने से पूर्व जूते घप्पलों को निर्धारित स्थान या अपने प्रवास स्थल में रखना अपेक्षित होगा।
- प्रवेश पूर्व "मुख्य द्वार" के अग्रभाग में पुलिस प्रशासन/मन्दिर प्रशासन के कर्मचारियों को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र पत्र दिखाना होगा। तत्पश्चात् थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं उपलब्ध सैनिटाईजर से अच्छी तरह अपने हाथों में प्रयोग करना होगा।
- मास्क का प्रयोग न करने की स्थिति में उन्हें सशुल्क मास्क मन्दिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना जाना होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कतिपय लोगों में कोविड के लक्षण प्रदर्शित होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

- मन्दिर प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर हेतु उचित स्थान उपलब्ध कराना होगा, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आईसोलेसन सेन्टर की स्थापना करनी आवश्यक होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितों को इस सेन्टर में सहजता से शिफ्ट किया जा सके।

(ii) दर्शन लाइन प्रक्रिया— श्रद्धालुओं/यात्रियों को मन्दिर परिसर में पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा। पंक्तिबद्ध होते समय सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए 6 फीट की आपसी दूरी बनाते हुए निर्मित गोले के निशान में ही पंक्तिबद्ध होना आवश्यक होगा।

(iii) दर्शन प्रक्रिया—

- "मुख्य द्वार" से प्रवेश करने पर श्रद्धालुओं/यात्रियों मन्दिर के सभामण्डप में प्रवेश कर सकेंगे। सभामण्डप से ही दर्शन "धर्म दर्शन" की अनुमति होगी। गर्भ गृह में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- सभामण्डप की क्षमता के अनुरूप आपसी दूरी 6 फीट का रखते हुए एक समय में अधिकतम 3 लोगो को ही सभामण्डप में ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। दर्शन "धर्म दर्शन" हेतु अत्यन्त सीमित समय अनुमन्य होगा।
- दर्शन उपरान्त मुख्य द्वार से बाहर आना होगा। दर्शन पश्चात् प्रथम श्रद्धालु/यात्री का पूर्वी गेट से बाहर आने पर ही मुख्य द्वार पर पंक्ति में नम्बर 4 पर खड़े श्रद्धालु/यात्री सभामण्डप में दर्शन हेतु प्रवेश पा सकेंगे। पुनः यह क्रम आवर्ती क्रम में सतत रूप से चलता रहेगा।
- सभामण्डप में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई यात्री/श्रद्धालु विशेष पूजा सम्पादित करना चाहते हैं तो आचार्यगणों द्वारा उनके ओर से पूजाएं सम्पादित करा दी जाएगी परन्तु ऐसे श्रद्धालुओं/यात्रियों को भी मात्र दर्शन "धर्म दर्शन" निर्धारित समय तक ही अनुमन्य होगी।

(iv) निकासी प्रक्रिया—

- श्रद्धालुओं/यात्रियों के दर्शन पश्चात् मन्दिर के मुख्य द्वार से बाहर आना होगा। तत्पश्चात् मन्दिर परिसर में निर्मित गोल निशान की ओर बढ़ते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने गन्तव्य या आवास को प्रस्थान करना होगा।
- यदि मन्दिर परिसर में किंचित समय के लिए पंक्ति बद्ध होना पड़े तो परिसर में बने गोल निशान में ही खड़ा रहना आवश्यक होगा।
- परिसर में पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा उद्घोषणा होने पर उसका पालन करते हुए त्वरित गति से मन्दिर परिसर को खाली करना होगा ताकि दर्शन हेतु पंक्ति में खड़े अन्य श्रद्धालुओं/यात्रियों को समयान्तर्गत दर्शन लाभ प्राप्त हो सके।

(v) प्रसाद, दान, भेंट आदि प्रक्रिया— मन्दिर में किसी भी प्रकार का प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी न ही मन्दिर के अन्दर प्रसाद वितरण टीका आदि लगाना ही अनुमन्य होगी। श्रद्धालुओं/यात्रियों श्रद्धानुसार दिए जाने वाले दान-भेंट को निर्धारित दान पात्र में ही अर्पित करना आवश्यक होगा।

(vi) मूर्तियों/घण्टियों को स्पर्श नहीं किया जाना— मन्दिर एवं मन्दिर परिसर में स्थापित मूर्तियों घण्टियों, आभूषणों, ग्रन्थों पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें पूर्ण रूप से साफ कपड़े से ढका जाना होगा।

(vii) सफाई व्यवस्था/सैनीटाइजेशन— मन्दिर के अन्दर एवं परिसर को किटाणुरहित सैनेटाइजर से प्रतिदिन कम-से-कम 3 बार सफाई तदोपरान्त सैनीटाइजर करना अनिवार्य होगा। मन्दिर में एक ही मैट, दरी, चादर आदि का प्रयोग नहीं किया जाना होगा।

(viii) तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान सम्बन्धी निर्देश— धाम में स्थित तप्तकुंडों/कुंडों में स्नान किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(ix) दर्शन हेतु अनुमन्य संख्या एवं रात्रि प्रवास अवधि— जनमानस के व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षार्थ एवं कोविड-19 Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत श्री यमुनोत्री धाम में प्रथम जुलाई से जनपद उत्तरकाशी हेतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन अधिकतम 400 श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन की अनुमति होगी तथा समान्तर कम में एक रात्री प्रवास की भी अनुमति होगी। कदाचित विषम परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर यथा मार्ग अवरुद्ध, स्वास्थ्य आदि पर स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन की अनुमति से प्रवास अवधि बढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों की संख्या को आगामी समय में परिस्थिति अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

ड.— अनुश्रवण—

धाम में श्रद्धालुओं/यात्रियों को मानक प्रचालन विधि (SOP) का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। श्रद्धालुओं/यात्रियों को दर्शन व्यवस्था एवं मानक प्रचालन विधि (SOP) के पूर्णतः अनुपालन का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। इस हेतु मन्दिर प्रशासन के नियुक्त नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी /पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सहयोग का कार्य करेंगे।

अग्रिम आदेशों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री प्रत्येक धाम में 01 उप जिला मजिस्ट्रेट एवं 01 पुलिस उपाधीक्षक की तैनाती कर दी गयी है।

.....
 A Handwritten note in Hindi, partially legible, appears to be a signature or official statement. It includes the words "A Handwritten note" and "Should be..." followed by some illegible text.